जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक:-F( )JDA/ADR & DP/2014/D-484 दिनांक:- 26/03/2014

अध्यक्ष,
राजस्थान बार कॉसिंल,
हाईकोर्ट परिसर, जौधपुर

विषय :- जविप्रा की आनन्द विहार, उदय विहार, अभिनव विहार विस्तार एवं रोहिणी एन्क्लेव आवासीय योजनाओं में अधिवक्ताओं की ग्रुप हाउसिंग सोसायिटी के लिए 5 प्रतिशत भूमि आरक्षण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.3(745)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 02.07.13 की अनुपालना में जविप्रा की आनन्द विहार, उदय विहार, अभिनव विहार विस्तार एवं रोहिणी एन्क्लेव आवासीय योजनाओं में अधिवक्ताओं की ग्रुप हाउस सोसायटीज के लिए 5 प्रतिशत भूमि का आरक्षण किया गया है।

इस सम्बन्ध में दैनिक राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22.03.2014 के संस्करण में विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गई है। अतः विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

सचिव
जविप्रा, जयपुर

Journal File

दैनिक [illegible] पत्रिका
दिनांक 22-3-14 पृष्ठ सं. 9

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302004

क्रमांक : जविप्रा/एडीआर/2014/डी-470 दिनांक: 21.03.2014

विज्ञप्ति

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.3(745) नविवि/ 3/ 2011 जयपुर दिनांक 02.07.2013 की अनुपालना में जविप्रा की आनन्द विहार, उदय विहार, अभिनव विहार विस्तार एवं रोहिणी एन्क्लेव आवासीय योजनाओं में अधिवक्ताओं की ग्रुप हाउस सोसायटीज के लिए 5 प्रतिशत भूमि का आरक्षण किया गया है।

इस आरक्षित भूमि के ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु इस परिपत्र के तहत पात्र एवं इच्छुक एसोसिएशन/ समितियों से दिनांक 15.05.2014 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ताकि इन योजनाओं मे तदनुसार आरक्षित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके। पात्र संस्थाओं द्वारा दिनांक 15.05.2014 तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने पर जविप्रा द्वारा यह मान लिया जाएगा कि इस आरक्षित भूमि पर परिपत्र दिनांक 02.07.2013 के तहत भूमि का उपयोग करने हेतु कोई पात्र संस्था इच्छुक नहीं है।

सचिव

1/2-795
13/14